

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट एक

प्रश्न सं. [क. 162]

[8/3/2017]

(16)

परिशिष्ट एक

मध्य प्रदेश शासन,
आदिग जाति विद्युतीकरण नियम
नियमाला

क्रमांक/ f 23/119/3/2003
प्रति:

गोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 2003

1. आयुक्त,
आदिवासी विकास,
मध्य प्रदेश, भोपाल

2. सचालका,
आदिग जाति धोत्रीय विकास थोजनाये,
भोपाल

विषय :- अनुचित जनजाति वाहत्य मजरे एवं टोलों का विद्युतीकरण, पंपों का ऊर्जीकरण एवं
एक बच्ची कनेक्शन दिये जाने वालत.

आदिवासी मजरे एवं टोलों के विद्युतीकरण, पंपों के ऊर्जीकरण तथा एक बच्ची

कनेक्शन हेतु पूर्व में लिये गये निर्णयों के संदर्भ में आदिवासियों को त्वरित लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से
निमानुसार निर्णय लिये गये :-

1. आदिवासी मजरे एवं टोलों का विद्युतीकरण

अनुसूचित जनजाति भजरे एवं टोलों के विद्युतीकरण हेतु पूर्व में रुपरौ 1.00 लाख
की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई थी। यद्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल द्वारा रुपरौ 1.00 लाख से
अधिक व्यय होने के प्रस्ताव के आधार पर यह सीमा वास्तविक प्राक्कलन की राशि तक विस्तृत की
जाती है।

2. अनुसूचित जनजाति के कृषकों के पंपों का ऊर्जीकरण

अनुसूचित जनजाति के कृषकों के कृजों के पंपों के ऊर्जीकरण हेतु पूर्व में रुपरौ
25,000/- की राशि निर्धारित थी। यह राशि वास्तविक प्राक्कलन की सीमा तक स्वीकृत किये जाने
की अनुमति प्रदान की जाती है।

...2

3.

विद्युतीकरण का सेखाजोखा

विद्युतीकरण हेतु आवंटन जिसे के जिलाध्यक्ष को उपलब्ध कराया जाता है तथा कार्य मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल द्वारा यहित समिति द्वारा कराया जाता है। इस संघटने में निर्णय लिया गया है कि मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल एवं कार्यपालन संचालन विद्युतीकरण का पूर्ण विवरण आदिग जाति कल्याण विभाग के जिला अधिकारी को उपलब्ध करायेगे एवं आदिग जाति कल्याण विभाग के जिला अधिकारी विद्युतीकरण का पूर्ण सेखाजोखा रखेंगे।

4.

भाँतिक लक्ष्यों का निर्धारण

भाँतिक लक्ष्यों का निर्धारण परियोजना स्तर पर परियोजना सलाहकार मण्डल एवं माडा तथा तलस्टर के लिये प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित की जायेगी। परियोजना सलाहकार मण्डल एवं प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी विकास खण्डों के अविद्युतीकृत गजरे, टोलों एवं पंथों का ऊर्जाकरण हेतु शेष नक्षत्रों को ध्यान में रखते हुये लक्ष्य निर्धारित किये जायें।

5.

11 के.व्ही.लाइन की व्यवस्था

दर्तमान में 11 के.व्ही.लाइन हेतु प्रावधान नहीं होने से मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल ने आटिवासी भजरे एवं टोलों में विद्युतीकरण करने में कठिनाई व्यक्त की। इस संघटने में निर्णय लिया गया कि 11 के.व्ही.लाइन की आवश्यकता होने पर प्रस्ताव अनुशंसा सहित संचालक, आदिग जाति हंड्रीय विकास योजनाओं का प्रेपित किये जायें।

6.

हितग्राहियों का चयन

परियोजना क्षेत्र में परियोजना सलाहकार मण्डल एवं माडा तथा तलस्टर में जिला योजना समिति की उप समिति तथा अनुसूचित जाति के हितग्राहियों के लिए प्रभारी मंत्री द्वीपी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा हितग्राहियों का दरान किया जायेगा।

आदिवासी भजरे एवं टोलों के विद्युतीकरण, पंथों के ऊर्जाकरण एवं एक बत्ती कनेक्शन हेतु उपरोक्तानुसार निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाये।

Dr. A. S. C

(लॉ.गारीरथ प्रसाद)

प्रमुख सचिव,

मध्य प्रदेश शासन,

आदिग जाति तथा अनुसूचित जाति

कल्याण विभाग, भोपाल

True copy
Dated 05/11/2018
Ratna